

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र, 12, गुरुवार, शाके 1948- सितम्बर 03, 2026 Bhadra 12, Thursday, Saka 1948- September 03, 2026	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 12, 2026

संख्या एफ.10(न.पा.)(चुनाव)(जन)/डीएलबी/2026/23395:-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 6 व 43 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.8(ग)नियम/चुनाव/डीएलबी/99/10334 दिनांक 30-10-1999 को आंशिक संशोधित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा राज्य की सभी 309 नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पद पर आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के निर्देश **संख्या 12, 14 एवं 15** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है:-

12. उपरोक्त निर्धारण के अनुसार राज्य के कुल 309 नगरीय निकायों में से महापौर/सभापति/अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित पदों पर प्रतिशत निम्न प्रकार होगा:-

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिशत
1	अनुसूचित जातियां	16.03
2	अनुसूचित जनजातियां	3.62
3	पिछड़ा वर्ग (संभागवार) राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर	19.42
4	महिलाएं (संभागवार)	एक तिहाई

14. समस्त नगरीय निकायों के सन्दर्भ में वर्ष 2026 में चुनाव सम्पन्न होने हैं, वहां जनगणना 2011 के आधार पर महापौर/सभापति/अध्यक्ष पदों का आरक्षण आगामी साधारण निर्वाचन 2026 में प्रभावी होगा।

15. वर्ष 2026-27 में 309 नगरीय निकायों में होने वाले आगामी साधारण निर्वाचन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षित महापौर/सभापति/अध्यक्ष पदों के आधार पर होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।